

-: न्यायालय :- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उज्जैन (म0प्र0) :-

**विविध आदेश**

क्रमांक- 642 / 2024

उज्जैन, दिनांक : 20 / 07 / 2024


प्रभार आदेश क्रमांक-358/2024 उज्जैन, दिनांक-06/04/2024 में अस्थाई रूप से आगामी आदेश होने तक आंशिक संशोधन करते हुए, निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट संबंधित पुलिस द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत अभियुक्तगण/साक्षीगण का परीक्षण करायेंगे।

तहसील तराना		
क्र	अधिकारी का नाम	आरक्षी केन्द्र
1	2	3
1	श्रीमती सपना शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, तराना, जिला उज्जैन	-
2	श्री शिरीष शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट - प्रथम श्रेणी, तराना, जिला उज्जैन	-
3	श्रीमती संगीता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना, जिला उज्जैन	1-कायथा 2- तराना 3- माकड़ौन 4- मक्सी (तराना तहसील में आने वाला क्षेत्र)

**नोट :-**

- 1- तहसील मुख्यालयों पर संबंधित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति/अवकाश पर रहने की दशा में अभियोक्त्री/पीडिता (महिला उत्पीड़न से संबंधित)/ साक्षीगण/अभियुक्त के कथन के संबंध में पूर्व में जारी प्रभार आदेश अनुसार पदस्थ कनिष्ठ प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
- 2- किसी मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति के कारण यदि क्रमानुसार एवं प्रभार अनुसार ऐसे मजिस्ट्रेट पर प्रभार आ जाता है, जिसे संबंधित थाने का क्षेत्राधिकार है, तो क्रमानुसार/प्रभार अनुसार उसके नीचे क्रम वाले मजिस्ट्रेट/प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जावेगी।

- 3- किसी भी अन्य दशा/परिस्थिति में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष आदेश से परिस्थिति अनुसार कथन अंकित किए जाने हेतु वरिष्ठ/कनिष्ठ अधिकारी को नियुक्त कर सकेंगे।


 20/7/24  
(राजेन्द्र सिंह सिंगार)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उज्जैन (म0प्र0)

**प्रतिलिपि :-**

पृष्ठांकन क्रमांक- ...../2024

उज्जैन, दिनांक-20/07/2024

- 1- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, उज्जैन की ओर सादर प्रेषित।
- 2- श्रीमती संगीता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तराना, जिला उज्जैन की ओर पालनार्थ प्रेषित।
- 3- समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को ई.मेल/वाट्सअप द्वारा सूचित करने हेतु एवं जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय उज्जैन को प्रेषित।

  
(राजेन्द्र सिंह सिंगार)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
उज्जैन (म0प्र0)